



प्रो० वी० पी० खण्डूडी
अधिष्ठाता

वानिकी महाविद्यालय
वी० च० सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड आद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
रानी चौरी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड— 249199

तकनीकी सहायता न०: 7080448554

ईमेल: uuhf.exam@gmail.com,

Web: <http://uuhfonline.org/>, <https://www.uuhf.ac.in/>

— स्नातक(UG) तृतीय काउंसलिंग सम्बन्धित सूचना —

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार में स्नातक स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय सम्पन्न करायी जा चुकी है। प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात् बची हुयी सीटों एवं आईसीएआर (ICAR) की सीटों पर प्रवेश हेतु तृतीय काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थी 29 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक च्वाइस दे सकते हैं।

1. अभ्यर्थी को बेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से लॉगिन करने के बाद सर्वप्रथम काउंसलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क 700 एवं Transaction Charge Extra आनलाइन जमा करना होगा।
2. पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपने विषयों का आनलाइन च्वाइस (Subject preference/priority) दे सकते हैं।

नोट:

1. यदि अभ्यर्थी को तृतीय काउंसलिंग में च्वाइस के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है परन्तु प्रवेश प्रक्रिया के स्तर पर दस्तावेज सत्यापन के समय आरक्षण से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण पत्र में कोई भी अनियमितता अथवा शासनोदश के अनुरूप ना होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
2. यदि किसी अभ्यर्थी को द्वितीय काउंसलिंग में सीट आवंटित हो गयी थी एवं अभ्यर्थी ने प्रवेश शुल्क (23750.00) जमा कर दिया था। ऐसे अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो तृतीय काउंसलिंग में प्रतिभाग करना होगा। तृतीय काउंसलिंग में यदि अभ्यर्थी को उसकी च्वाइस के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो ऐसे द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी। उसे तृतीय काउंसलिंग में आवंटित विषय में प्रवेश मिलेगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र/डाक्यूमेन्ट/दस्तावेज प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर जाँच में गलत/फर्जी पाये जाने अथवा शासनादेशों/नियमों के अनुरूप ना होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
4. (Subject preference/priority) करते समय उन्ही विषयों का च्वाइस दे जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश चाहता है। यदि अभ्यर्थी को च्वाइस के अनुसार सीट आवंटन हो जाता है एवं अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूरा नहीं करता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आगामी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकता है।
5. तृतीय काउंसलिंग प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के बाद बची हुयी सीटों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सीटों के लिए होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सीटों एवं काउंसलिंग के पश्चात् बची हुयी सीटों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है।

Sr. No.	Subject	No. of Seat (ICAR)	No. of Seat (University)
1.	B.Sc. Agriculture (Hons.)	3	UR-PH (1)=1
2.	B.Sc. Horticulture (Hons.)	5	UR (1), URFF (1), Other State (2) =4
3.	B.Sc. Forestry (Hons.)	5	UR (3), URPH(1), UR Women(3), SC (2), SC Women(2), ST (1), Other State (2)=14
Total		13	19

6. तृतीय द्वितीय काउंसलिंग हेतु सभी श्रेणी एवं उपश्रेणी (UR,OBC,SC.ST, WOMEN, PH, FF,DP, OTHER STATE) की सीटों के लिए काउंसलिंग की जायेगी।

यदि श्रेणी/उपश्रेणी (OBC, WOMEN,PH, FF,DP, OTHER STATE) की सीट पर कोई भी अभ्यर्थी च्वाइस नहीं प्रदान करता है ऐसी स्थिति में उपश्रेणी की सीटों को सर्वप्रथम उसके मुख्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् यदि सीटें खाली रह जाती हैं ऐसी स्थिति में बची हुयी सीटों को उत्तराखण्ड सामान्य वर्ग की सीटों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।